

तारीख हुकम

09.07.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता वादी व वादी के नाम से अलग-अलग समय पर तीन व्हर आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता वादी एवं स्वयं वादी अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा वादी का वाद 'अदम पैखी' व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैंसल शुमार होकर दारखिल दफतर हो व नंबर से कम हो।

09/07/25
सहायक कलेक्टर
(SDO), बाड़मेर

